9. **शास्ति.–** इन नियमों का उल्लंघन करने की दशा में, संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र, सूचना की प्राप्ति की दिनांक से सात दिवस के भीतर जबाब अपेक्षित करते हुए जारी किया जाएगा। जबाब, यदि कोई हो, संतुष्टिकारक नहीं होने पर, संस्था द्वारा जमा प्रतिभूति/सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा शुल्क को परिषद् के खाते में राजसात कर लिया जाएगा।

10. **प्रवेश प्रक्रिया.–**

परिषद् पैरामेडिकल अकादमिक कैलेण्डर निर्धारित करेगी। उसके अनुसार संस्थान में अध्ययन हेतु प्रवेश के संबंध में निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी –

(1) **विज्ञापनः** संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आंमत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

(2) **शैक्षणिक अर्हताः** जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होगीः

परंतु पंचकर्म में प्रमाणपत्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं हैः

परंतु यह और कि परफ्यूजन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.एससी. (भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान) अनिवार्य है।

(3) **आयुः** किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) **प्रवीण्य सूचीः** प्राप्त आवेदनों संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो, हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगाः

परंतु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मैरिट सूची में अंकों की समानता की दशा में,–

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(ग) शिक्षण संस्था ऑनलाईन सीएलसी के माध्यम से प्रवेश ले सकेगी एवं प्रवेश से संबधित समस्त जानकारियॉ ऑनलाईन परिषद् को प्रेषित करना होगा।

(5) **न्यूनतम अर्हकारी अंक.–** किसी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत अंक निंर्धारित हैं।

(6) **अन्य शर्तें.–**

(क) आरक्षण के संबंध में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ. सी 3–6/2019/1/3, भोपाल दिनांक 06–05–2019 के अनुसार संस्थान के मान्यता प्राप्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में, कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत ई. डबलू.एस. के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ग) परिषद् द्वारा संस्थान को मान्यता पत्र जारी किये जाने के उपरांत, संस्थान एक माह के भीतर सभी प्रवेशित छात्र–छात्राओं के प्रवेश फार्म ऑनलाईन माध्यम से समस्त वांछित जानकारी/ दस्तावेज सहित जमा करेगा।

(घ) संस्थान में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन प्रवेश आवेदन भरे जाने हेतु परिषद् द्वारा संस्थान को जी2जी आई.डी. प्रदान की जाएगी।

(ङ) संस्थान द्वारा जी2जो आई.डी. के माध्यम से ऑनलाइन भरे गये प्रवेश आवेदनों की पुष्टि/ सत्यापन/ सुधार हेतु, संस्था को एक माह की कलावधि प्रदान की जाएगी।

(च) संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन आवेदनों की पुष्टि/ सत्यापन/ सुधार अथवा कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने की दशा में, परिषद्, छात्रों का प्रवेश निरस्त करने के लिए बिना कोई नोटिस जारी किए, एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी संस्थान की होगी।

(छ) एक माह की कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत, परिषद् द्वारा जी2जी आई. डी. माध्यम से प्रवेशित छात्रों की सूची पुनः प्रदर्शित की जाएगी, जो कि मान्य होगी।

(7) **विलम्ब शुल्क.–**

संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाईन सूची जमा किये जाने की दशा में, संस्थान से प्रति छात्र रूपये एक हजार प्रतिदिन के अनुसार अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा।

(8) **आरक्षण.–**

(क) संस्थानों में प्रवेश हेतु सीटों के वर्गीकरण/आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाएगाः

परंतु संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार आयोजित तृतीय काउंसिलिंग के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहने की दशा में, सस्थान प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा।

(ख) पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त संस्थानों को राज्य शासन द्वारा बनाये गये आरक्षण नियमों का पालन करना होगा।

(9) **प्रवेश निरस्त किया जाना.–**

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के संज्ञान में आता है कि कोई छात्र/छात्रा की अनियमितता/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है तो परिषद् उक्त छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

(10) **विविध.–**

(क) संस्थान सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र उक्त वर्ष में, उक्त पाठ्यक्रम का ही अध्ययन कर रहा है। यदि किसी भी माध्यम से परिषद् के संज्ञान में आता है कि किसी छात्र द्वारा एक ही वर्ष में एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया गया है, तो परिषद्, कारण बताओं नोटिस जारी करने और जबाब यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकेगी।

(ख) संस्थान द्वारा प्रवेश फार्म में दी गई कोई जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में, परिषद्, प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

(ग) छात्रों/आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित पाठ्यक्रम/सीटों के अनुसार सीधे संस्थानों को आवेदन करना होगा। परिषद् द्वारा छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी।